सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 21/2013

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

हंसाली पुत्री नारायण जाति बैरवा निवासी मोलकिया तहसील केकडी जिला अजमेर

———प्रार्थी

♠बनाम♠

1. रामरतन पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी कासिर तहसील देवली जिला टोंक
2. रामूदेवी पुत्री नारायण जाति बैरवा निवासी मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
4. भूला पत्नि रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. लाली देवी पुत्री रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
6. माया पुत्री रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25.5.18

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के साथ अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम मोलकिया के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 171 में वर्णित खसरा नम्बर 676, 698, 715 रकबा क्रमशः 0.24, 1.18, 0.20 हैक्ट., में वादिया का 1/2 हिस्सा है, खाता संख्या 172 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 810, 811, 813 रकबा क्रमशः 0.30, 0.65, 0.15 हैक्ट. में वादिया का 1/4 हिस्सा है, एवं ग्राम कोहडा के जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता संख्या 241 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 974 रकबा 2.91 हैक्ट. में वादिया का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी रामूदेवी के दादा देबी की पुश्तेनी आराजीयात है। प्रार्थनापत्र वर्णित खाता संख्या 171 की आराजीयात में प्रार्थीया के पिता का सम्पूर्ण हिस्सा व खाता संख्या 172 की आराजीयात में प्रार्थीया के पिता का 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 241 में प्रार्थिया के पिता का सम्पूर्ण हिस्सा था। प्रार्थीया के पिता नारायण का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 3 में नारायण का सजरा अंकित किया गया है। प्रार्थीया के पिता नारायण जो दीमागी रूप से अस्वस्थ थे तथा मानसिक संतुलन भी ठीक नही था प्रतिवादी संख्या 1 ने नारायण का मानसिक संतुलन ठीक ना होने का फायदा उठाकर व राजस्व कर्मियों से मिलिभगत कर खसरा नम्बर 676/971 रकबा 0.24 है. खसरा नम्बर 698 रकबा 1.18 है. खसरा नम्बर 715/1108 रकबा 0.20 है. का अपने नाम विक्रयपत्र पंजीयन करा लिया है जो गलत है जबकि प्रार्थीया की पिता का मानसिक संतुलन ठीक नही होने का फायदा उठाकर अपने नाम गलत दर्ज करा लिया है लिहाजा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 (अ,ब,स) में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थीया के हिस्से पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

हमने प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के ना तो उपस्थित हुए है ना ही उन्होने अपना कोई अधिवक्ता नियुक्त किया है। अप्रार्थीगण वाद प्रार्थनापत्र को जानबूझकर लम्बा करने की नियत से जानबूझकर उपस्थित नही हुए है। आज पत्रावली केम्प कोर्ट मोलकिया में पेश हुई जहां प्रार्थीया के अधिवक्ता हाजिर है जिनकी एक तरफा बहस सुनी गई। विवरण निम्न प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला अजमेर

प्रार्थीया के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम मोलकिया के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 171 में वर्णित खसरा नम्बर 676, 698, 715 रकबा क्रमशः 0.24, 1.18, 0.20 हैक्ट., में वादिया का 1/2 हिस्सा है, खाता संख्या 172 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 810, 811, 813 रकबा क्रमशः 0.30, 0.65, 0.15 हैक्ट. में वादिया का 1/4 हिस्सा है, एवं ग्राम कोहडा के जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता संख्या 241 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 974 रकबा 2.91 हैक्ट. में वादिया का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी रामूदेवी के दादा देबी की पुश्तेनी आराजीयात है। प्रार्थनापत्र वर्णित खाता संख्या 171 की आराजीयात में प्रार्थीया के पिता का सम्पूर्ण हिस्सा व खाता संख्या 172 की आराजीयात में प्रार्थीया के पिता का 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 241 में प्रार्थिया के पिता का सम्पूर्ण हिस्सा था। प्रार्थीया के पिता नारायण का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थना पत्र के बिन्दू

संख्या 3 में नारायण का सजरा अंकित किया गया है। प्रार्थीया के पिता नारायण जो दीमागी रूप से अस्वस्थ थे तथा मानसिक संतुलन भी ठीक नही था प्रतिवादी संख्या 1 ने नारायण का मानसिक संतुलन ठीक ना होने का फायदा उठाकर व राजस्व कर्मियों से मिलिभगत कर खसरा नम्बर 676/971 रकबा 0.24 है. खसरा नम्बर 698 रकबा 1.18 है. खसरा नम्बर 715/1108 रकबा 0.20 है. का अपने नाम विक्रयपत्र पंजीयन करा लिया है जो गलत है जबकि प्रार्थीया की पिता का मानसिक संतुलन ठीक नही होने का फायदा उठाकर अपने नाम गलत दर्ज करा लिया है लिहाजा प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य बनता है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

उपस्थित प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुनने के बाद जाहिर हुआ कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया के पिता व दादा की पुश्तैनी आराजीयात है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलिभगत कर अपने नाम विक्रयपत्र दर्ज करा लिया है जिसमें प्रार्थीया का भी काल्पनिक हिस्सा था। तथा अप्रार्थी 1 द्वारा आये दिन लडाई झगडे करना , उपयोग, उपभोग ,में बाधा उत्पन्न करते हैं। किन्तु वर्तमान में अप्रार्थीगण को रोका नही गया तो प्रकरण में अन्य मुकदमेंबाजी बढने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता। लिहाजा प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र का संतुलन प्रार्थीया क पक्ष में होने से प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र प्रेमापैसाई केस होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र वाके ग्राम मोलकिया के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 171, खाता संख्या 172 एवं ग्राम कोहडा के जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता संख्या 241 में वर्णित आराजी का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में प्रार्थीया के हिस्से तक तावाद विचाराधीन होने तक प्रार्थीया के कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें ना ही वर्तमान रिकॉर्ड में प्रविष्टि के आधार पर रहन, बैचान, बख्सीस करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
ककडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी, जिला–अजमेर